भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4593
19 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में एससीएम की स्थिति

4593. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही इसके अंतर्गत पूर्ण की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;
(ख) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक चयनित शहर के लिए अब तक स्वीकृत की गई, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक चयनित शहर के पूर्ण विकसित होने और लक्ष्यों के प्राप्त होने की शहरवार अपेक्षित समयावधि क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 10 शहरों अर्थात आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी का चयन किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में दावा की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता, उपयोग की गई निधियों और परियोजनाओं की स्थिति का शहर-वार ब्यौरा आगे दर्शाया गया है:

(राशि करोड़ रु. में)

क्रम संख्या	शहर का नाम	भारत सरकार की निधियों की स्थिति		कुल परियोजनाएं		पूर्ण परियोजनाएं		कार्यान्वयन के चरण में	
		दावा की गई भारत सरकार की निधियां	उपयोग की गई भारत सरकार की निधियां	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत
1	आगरा	490	490	62	2,369	62	2,369	-	-
2	अलीगढ़	490	488	52	1,830	51	1,730	1	100
3	बरेली	490	485	88	1,476	88	1,476	-	-
4	झांसी	490	490	78	1,868	78	1,868	-	-
5	कानपुर	490	489	91	3,060	91	3,060	-	-
6	लखनऊ	490	490	103	2,126	102	2,115	1	11
7	मुरादाबाद	490	490	41	1,503	41	1,503	-	-
8	प्रयागराज	490	489	146	2,295	145	2,250	1	45
9	सहारनपुर	490	488	115	1,292	113	1,235	2	57
10	वाराणसी	490	490	117	3,342	117	3,342	-	-
	कुल	**4,900**	**4,890**	**893**	**21,161**	**888**	**20,949**	**5**	**212**

(ग) एससीएम का उद्देश्य पूरे शहर का विकास करना नहीं था बल्कि पुनर्स्थापन, पुनर्विकास, ग्रीनफील्ड विकास और एक पैन-सिटी पहल के माध्यम से क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण का पालन करना था, जिसमें शहर के बड़े हिस्सों को शामिल करने वाले स्मार्ट समाधान अपनाए जाते हैं, ताकि एक अनुकरणीय मॉडल बनाया जा सके। एससीएम के तहत शहरों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा अनुमोदित विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, जल स्वच्छता साफ़-सफाई (डब्ल्यूएएसएच), स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट ऊर्जा, पर्यावरण आदि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) के आधार पर विकसित किया गया था।

31.03.2025 को एससीएम समाप्त होने के बाद, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 10 जून 2025 को परामर्शिका संख्या 27 और 24.02.2026 को अर्ध-शासकीय पत्र जारी किया है, जिसमें विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) को सलाह दी गई है कि वे भारत सरकार (जीओआई) द्वारा उन्हें जारी की गई निधि के लिए अपने उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) मार्च 2026 तक जमा कराएं, और निर्मित परिसंपत्तियों के लिए प्रचालन और रखरखाव योजनाएँ तैयार करें।
